अति तत्काल
न्यायालय के निर्णय का अनुपालन

सं.एन-13011/07/2018- बीसी.III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 7 अगस्त, 2018

सेवा में

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: **श्री पंकज मेश्राम द्वारा दायर 2016 की जनहित याचिका संख्या 114 में नागपुर बेंच, माननीय उच्च न्यायालय , बॉम्बे द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों का उल्लेख करते हुए मीडिया को "दलित" नाम का उपयोग करने से रोकने सम्बन्धी आदेश दिनांक 6.6.2018 के आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर श्री पंकज मेश्राम द्वारा दायर 2016 की जनहित याचिका संख्या 114 के मामले में नागपुर बेंच माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे द्वारा पारित आदेश, दिनांक 6.6.2018 का संदर्भ लिया जाता है.

2. इससे पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 15 मार्च, 2018 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें सभी राज्य सरकारों/संघ राज् य क्षेत्र के प्रशासकों से अनुरोध किया गया था कि सभी आधिकारिक लेनदेन, मामलों, व्यवहार, प्रमाणपत्रों आदि के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति आदेशों में अधिसूचित अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अनुसूचित जाति और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उचित अनुवाद का उपयोग अंग्रेजी में केवल संवैधानिक शब्द किया जाना चाहिए।

3. उक्त आदेश का पैरा 6 निम्नानुसार है:

"जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, हम पाते हैं कि वह प्रतिवादी नंबर 2 और मीडिया को उस शब्द का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है। इस क्षेत्र के विभिन्न संस्थान हमारे सामने नहीं हैं और इसलिए, हम

प्रतिवादी नंबर 1 को मीडिया को इस तरह के निर्देश जारी करने के सवाल पर विचार करने और अगले छह सप्ताह के भीतर इस पर उपयुक्त निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।"

4. तदनुसार यह सलाह दी जाती है कि मीडिया ,माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख करते समय "दलित" शब्द का उपयोग करने बचें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति आदेश में अधिसूचित अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए तथा सभी आधिकारिक लेनदेन, मामले, व्यवहार, प्रमाणों पत्र आदि के लिए अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द Schedule Cast शब्द और अन्य भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद का उपयोग किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर/-

(अमित कटोच)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष : 23386394